प्रेस नोट 21/03/2021

<u>एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.03.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कस्बा दोहरीघाट से अरशद पुत्र हबीब अहमद निवासी कस्बा दोहरीघाट थाना दोहरीघाट के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 81/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 19 व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 21.03.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा आलोक कुमार, गंगा राजभर निवासीगण मझवारा व रोशन राजभर निवासी बड़गांव थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा गनेश, अनूप, बालवेंदर निवासीगण छिछोर, बच्चेलाल व अच्छेलाल निवासीगण घुड़सुड़ी थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा राजू भर निवासी जहनियापुर थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा गोलू निवासी फतेहपुर मंडाव थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अंकित कन्नौजिया निवासी बरहदपुर, अभय सिंह निवासी कटास थाना मेंहनगर, आदित्य कुमार निवासी मोलहना थाना महराजगंज, राहुल निवासी गम्भीरपुर, सुहेल अहमद निवासी सिकटी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, मो0 शाहआलम निवासी बंदीकला, विद्यासागर निवासी फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

महिला ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से चार दंपति साथ–साथ रहने को हुए तैयार, 27 मामले आए, नौ का हुआ निस्तारण, दो मामलों मे सुलह न होने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजी गई–

मऊ। महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन और सीओ मधुबन अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता हुई। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 27 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से नौ मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें चार दंपति साथ–साथ रहने को तैयार हो गए, वही दो मामलो में पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई । तीन मामलों मे पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। बैठक मे दस मामलों में एक–एक पक्ष तथा पांच मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की

अगली तिथि चार अप्रैल 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से पुष्पांजलि और अविनाश कुमार, कुसुम और सत्यप्रकाश, सहाना खातून और खुर्शीद अहमद तथा सरिता सोनकर और रमेश सोनकर ने अपना–अपना सभी मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। वही सुषमा राजभर और दुर्गेश राजभर के आपसी सहमति से सुलह कर लेने, निर्मला यादव और संजय यादव के मामले मे एफआईआर दर्ज हो जाने तथा पूजा गुप्ता और अखिलेश के मामले में पक्षकारों के लगातार अनुपस्थिति के चलते मामला निस्तारित कर दिया गया। वही सुषमा यादव और मुन्ना यादव तथा सावित्री और संजय कुशवाहा के मामले मे पक्षकारों के बीच सुलह न होने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। इस दौरान पूनम भारती और संतोष गौतम,नीतू सिंह और अजय सिंह तथा रेखा देवी और डब्बू ने सुलह के लिए समय की मांग किया। इस दौरान दस मामलों में एक– एक पक्षकार तथा पांच मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि चार अप्रैल 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रतिसार निरीक्षक विजय कुमार सिंह, ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे,इब्राहिम सेवक, विनोद कुमार सिंह,अर्चना उपाध्याय, मौलवी अरसद, डा.एमए खांन, महिला आरक्षी प्रीति दूबे ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।